न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 14/2018 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा, ज़िला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री भगवान सहाय खण्डेलवाल एफबीओ मैसर्सः—भगवान सहाय, मनीष कुमार गढ रोड, मण्डावर, तहसील महवा जिला दौसा।

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : श्री महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: श्री अबुल कलाम, अधिवक्ता अप्रार्थी उपस्थितं

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

—: आदेश :—

दिनांकः— 20.02.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) कमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार आवेदक को खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर के आदेश कमांक 475 दिनांक 10.08.2011 के द्वारा आवेदक को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र जिला दौसा आवंटित किया गया है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 05.08.2017 को दोपहर 03:00 बजे मैसर्सः—भगवान सहाय, मनीष कुमार गढ रोड, मण्डावर तहसील महवा जिला दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री मनीष कुमार पुत्र श्री भगवान सहाय खण्डेलवाल उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स न होना जाहिर किया।

निरीक्षण के समय विकेता की दुकान पर 7 कार्टून में 1 लीटर पैकिंग में पैक **Mustard Oil (Azad Brand) Agmark** (7 कार्टून X 20 बोतल X 1 लीटर : 140 बोतल) आम जनता को बेचने हेतु रखा हुआ था, में मिलावट का शक होने पर एक कार्टून में से नमूने की जांच हेतु 4 मूल पैक बोतल **Mustard Oil (Azad Brand) Agmark** खरीदी। जिसकी कीमत 540 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व विक्रेता एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा मूल पैक बोतल **Mustard Oil (Azad Brand) Agmark** पर चिपकाकर बोतलो को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेट कर बोतलों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **A.G.**–1720 गोंद से चिपकाकर बोतलों को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर बोतलों को चार–चार जगह से चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द बोतलो को अपने कब्जे में लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने की एक सील बंद बोतल एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने की एक सील बंद बोतल व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्र.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 08.08.2017 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये।

नमूने की दो सील बन्द बोतल व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 08.08.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद बोतल व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 09.08.2017 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

उक्त खाद्य पदार्थ **Mustard Oil (Azad Brand) Agmark** के नमूने की खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1825/एक्ट/2017/1897 दिनांक 23.08.2017 डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Mustard Oil (Azad Brand) Agmark** का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त की बहस दिनांक 06.02.2019 को सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Mustard Oil (Azad Brand) Agmark** के लेबल पर **Batch No.** एवं **Date of mfg./pkg** अंकित नहीं था। जो कि नियम 2.2.2(8) एवं 2.2.2(10) पैकेजिंग एवं लेबलिंग नियम 2011 का उल्लंघन होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ Mustard Oil (Azad Brand) Agmark मिसब्राण्ड पाया गया है। अधिवक्ता अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया गया कि मैसर्स योगेश इण्डस्ट्रीज एण्ड ऑयल मिल्स रणजीत नगर रोड भरतपुर राज0 उक्त खाद्य पदार्थ **Mustard Oil (Azad Brand) Agmark** का निर्माता है, परन्तु निर्माता ने हमे बिल **Mustard Oil (Azad Brand) Agmark** के स्थान पर **Mustard Cake** का दिया है, एवं परिवादी ने मात्र अप्रार्थी को फसाने की गरज से उक्त निर्माता कम्पनी को पक्षकार नहीं बनाया है। ऐसी सूरत में परिवाद चलने योग्य नहीं है। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध आवेदन पत्र खारिज फरमाया जावे।

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में अथवा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **Mustard Oil (Azad Brand) Agmark** का निर्माता कम्पनी से क्रय किये जाने का बिल प्रस्तुत नहीं होना पाया गया है। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एल.एस./1825/एक्ट/2017/1897 दिनांक 23.08.2017 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ **Mustard Oil (Azad Brand) Agmark** मिसब्राण्ड पाया गया है। जो एफएसएसए नियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 52 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ **Mustard Oil (Azad Brand) Agmark** मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त श्री मनीष कुमार पुत्र श्री भगवान सहाय खण्डेलवाल, एफबीओ मैसर्सः– भगवान सहाय, मनीष कुमार गढ रोड, मण्डावर, तहसील महवा जिला दौसा पर 7000/– (अक्षरे सात हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 20.02.2019 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

क्रमांक/ 438-440
दिनांकः– .02.2019

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री मनीष कुमार पुत्र श्री भगवान सहाय खण्डेलवाल
   एफबीओ मैसर्सः– भगवान सहाय, मनीष कुमार गढ रोड, मण्डावर, तहसील महवा जिला दौसा।

(राजवीर सिंह चौधरी)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official